प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं ~~पदेन सहायक कलक्टर~~ राजाखेड़ा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) हल्कवारी

पीठासीन अधिकारी :– देवीसिंह
उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा

वादीगण
1– विष्णु पुत्र गुप्ता
2– किरन देवी पत्नी गुप्ता
जाति बाबे
नि. कदुमरा
तह. राजाखेड़ा
— वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण
1– सतीश पुत्र गुप्ता
2– प्रेमकुमार उर्फ सोनू पुत्र गुप्ता
3– कमलो पत्नी मोहर सिंह
समस्त जाति बाबे नि. कदुमरा
4– प्रबन्धक PHC मुनगुड़ तह. राजाखेड़ा
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेड़ा
— प्रतिवादीगण

दावा बाबत ..... बटवारा कराना .....
मुकदमा नम्बर :– 26/2021
निर्णय दिनांक :– 23-11-2021

वादी की ओर से किरन व रजन देवी ..... की व प्रतिवादी की ओर से सतीश, प्रेमकुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23-11-2021 को देवीसिंह (नाम पीठासीन अधिकारी) ..... उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा ..... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – विवादित आ.ख.न. 384/3 रकबा 0.0331 है., 386/1 रकबा 0.2150 कलम किस्म-2 कलम रकबा 0.2481 है. स्थित ग्राम गड़राई वादी विष्णु के हिस्से में रहेगी, तथा ख.न. 384/2 रकबा 0.1379 है. स्थित ग्राम गड़राई वादिनी किरन देवी के हिस्से में रहेगी तथा आ.ख.न. 384/5 रकबा 0.0332 है. तथा ख.न. 386/3 रकबा 0.2150 कलम किस्म 2 कलम रकबा 0.2482 है. प्रतिवादी सं. 1 सतीश के हिस्से में रहेगी। तथा आ.ख.न. 384/4 रकबा 0.0331 है., 386/2 रकबा 0.2150 है. कलम किस्म 2 कलम रकबा 0.2481 है. स्थित ग्राम गड़राई प्रति. सं. 2 प्रेमकुमार पुत्र गुप्ता के हिस्से में रहेगी तथा ख.न. 377 रकबा 0.2023 है., 378 रकबा 0.2150 है., 384/1 रकबा 0.0789 कलम किस्म-3 कलम रकबा 0.4962 है. स्थित ग्राम गड़राई तहसील राजाखेड़ा प्रतिवादी सं. 3 कमलो के हिस्से में रहेगी। उपकुमार सोनू। इसके में उभय पक्ष वादी वादिनी किरन देवी रहेगी। उपकुमार सोनू। इसके में उभय पक्ष वादी वादिनी किरन देवी रहेगी।

(खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।)

यह आज तारीख 23-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

(देवीसिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)
पदेन सहायक कलेक्टर.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	